संo संo--टी–3 / भवन–35 / 2013–.....2102.. /

बिहार सरकार

श्रम संसाधन विभाग

निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षण पक्ष), नियोजन भवन, बेली रोड, बिहार, पटना।

प्रेषक,

अपर सचिव,
श्रम संसाधन विभाग।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

/ प ट ना, दिनांक–....05.. / ...09... / 2017

विषयः– औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, सुपौल के Examination Hall/Lecture Theatre के निर्माण कार्य हेतु कुल राशि **रू0 310.00 लाख (तीन करोड़ दस लाख)** मात्र की संशोधित प्रशासनिक स्वीकृति।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, सुपौल के Examination Hall/Lecture Theatre के निर्माण कार्य हेतु पूर्व में निर्गत विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 961, दिनांक–08 / 07 / 14 द्वारा रु0 68,84,200 / –(अड़सठ लाख चौरासी हजार दो सौ) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी थी, को निरस्त करते हुए कुल **रू0 310.00 लाख (तीन करोड़ दस लाख)** मात्र की संशोधित प्रशासनिक स्वीकृति भवन निर्माण विभाग के पत्रांक–809 (भ0), दिनांक–25 / 01 / 2017 द्वारा उपलब्ध कराए गए तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन के आलोक में राज्य योजनान्तर्गत प्रदान की जाती है।

2-- इस योजनान्तर्गत उक्त राशि की निकासी मुख्य शीर्ष 4059–लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष 60–अन्य भवन, लघु शीर्ष 051–निर्माण, उप शीर्ष–0112–औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के भवनों का निर्माण / पुनर्निर्माण / उन्नयन, विपत्र कोड–**03-4059600510112**, राज्य स्कीम के विषय शीर्ष - **0112.53.01** मुख्य निर्माण कार्य से वित्तीय वर्ष 2017–18 में उपबंधित राशि से किया जाएगा। इस राशि के व्यय में वित्त विभाग के पत्रांक–2561 वि0 (2) दिनांक–17–04–1998 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

3-- इस राशि की निकासी भवन निर्माण विभाग द्वारा प्राधिकृत निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा की जायगी तथा इसके नियंत्री पदाधिकारी प्रधान सचिव / सचिव भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना होंगे।

4-- इस राशि की निकासी जिला कोषागार, सुपौल से की जायेगी।

5-- कार्य का भौतिक, वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन तथा उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्रधान सचिव / सचिव, भवन निर्माण विभाग के माध्यम से महालेखाकार एवं निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण को मासिक, त्रैमासिक एवं वार्षिक रूप में समर्पित किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

6-- पूर्व में निर्गत स्वीकृत्यादेश संख्या–961, दिनांक–08 / 07 / 14 को निरस्त समझा जाए।

7-- प्रशासनिक स्वीकृति संबंधी प्रस्ताव पर प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

8-- संचिका संख्या–टी–3 / भवन–35 / 2013 के पृष्ठ–34 / टि0 पर आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

विश्वासभाजन

5/9/17

अपर सचिव,
श्रम संसाधन विभाग

कृ0पृ0उ0

ज्ञापांक– टी–3/भवन–35/2013–......2102...... /प ट ना, दिनांक–...04.../...09.../2017

प्रतिलिपि– माननीय मंत्री, श्रम संसाधन विभाग के आप्त सचिव/योजना एवं विकास विभाग (चार प्रतियों में)/वित्त विभाग (बजट शाखा)/विकास आयुक्त के सचिव/प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग के सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/- 04/09/17
अपर सचिव,
श्रम संसाधन विभाग

ज्ञापांक– टी–3/भवन–35/2013–......2102...... /प ट ना, दिनांक–...04.../...09.../2017

प्रतिलिपिः–प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/प्रमण्डलीय आयुक्त, कोशी प्रमण्डल, सहरसा/जिला पदाधिकारी, सुपौल/जिला कोषागार पदाधिकारी, सुपौल/कार्यपालक अभियन्ता, भवन प्रमण्डल, सुपौल/मुख्यालय के सभी पदाधिकारी/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, मुख्यालय/प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, सुपौल/मासिक व्यय विवरणी शाखा/बजट शाखा/योजना शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ/आई0टी0 मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

ह0/- 04/09/17
अपर सचिव,
श्रम संसाधन विभाग